

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 65 / 2010

संस्थापित दिनांक 16.02.2010

फाईलिंग नं.230303003082010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. बच्चू उर्फ अमृतपाल पुत्र जरनैल सिंह
सिख उम्र—41साल निवासी कमल सिंह
का बाग लश्कर ग्वालियर म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 14 / 7 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279,338 के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 30/01/10 को समय 9:30 बजे स्थान भिण्ड रोड हरगोविंद पुरा के सामने मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.30एम.सी. 5755 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया व वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी सौ सिंह उर्फ सुगरसिंह को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि विचारण के दौरान फरियादी का आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 30/1/10 के 9:45 बजे फरियादी सौ सिंह ने इस आशय की सूचना दी कि वह अपनी मोटरसायकिल से हरगोविंदपुरा तरफ जा रहा था जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड हरगोविंदपुरा की सड़क के पास पहुंचा तो हरगोविंदपुरा तरफ से मोटरसायकिल जिसे बच्चू सिंह चला रहा था का तेजी व लापरवाही चलाता हुआ लाया और उसकी मोटरसायकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके सिर,नाक,आंख व बाह में चोटें आई घटना राहगीरों ने देखी है बच्चू सिंह मोटरसायकिल भगा ले गया ।

4. फरियादी की देहाती नालसी पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा अप0क0 16/10 धारा 279,337,338 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान फरियादी का कराया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279,338, के आरोपो की विवेचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 338 में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपी को भा.द.वि.की धारा 279 के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपी ने वाहन मोटरसायकिल कमांक एम.पी.30एम.सी. 5755 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन कारित किया?

सकारण निष्कर्ष

8. सौसिह उर्फ सुगर सिंह आ0सा01 के द्वारा प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि आज से करीब 4,5 साल पहले वह अपनी मोटरसायकिल से हरगोविंदपुरा जा रहा था जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड हरगोविंदपुरा के पास पहुंचा एक अज्ञात मोटरसायकिल से उसका एक्सीडेंट हो गया मोटरसायकिल कौन चला रहा था उसे पता नहीं है उसने दुर्घटना की रिपोर्ट की थी जो प्र0पी01 की है पुलिस ने घटना सील का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है साक्षी द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि दुर्घटना वाहन तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के कारण घटित हुई थी साक्षी के कथनो से तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की घटना का समर्थन नहीं होता है।

9. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपी के मध्य हुये आपसी राजीनामा से यह विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे घटित घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

10. मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी सौ सिंह आ0सा01 ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना का लेसमात्र समर्थन नहीं किया है जबकि उक्त साक्षी के साथ दुर्घटना होकर साक्षी घटना का अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है लेकिन उसके द्वारा ही घटना का समर्थन न किये जाने के कारण घटित दुर्घटना को प्रमाणित नहीं कराया जा सका।

11. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 279 के आरोप पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये। शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 279 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किया जाता है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 30.एम.सी.5755 पूर्व से पंजीकृत स्वामी के पास सुर्पुदगी में है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे।

13. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमें हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता / सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता / सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद